कार्यालय–जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज

साहेबगंज जिला अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की औपबंधिक वरीयता सूची संबंधी आवश्यक सूचना।

सरकार के प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14.12.2015, संकल्प संख्या 1145 दिनांक 18.07.2019, माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा WP(S) संख्या 1474/2017 में दिनांक 04.07.2018 को पारित न्यायिक आदेश एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 को आधार मानते हुए साहेबगंज जिला अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की औपबंधिक वरीयता सूची का निर्माण जिला अन्तर्गत सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। इसका डाटाबेस शिक्षकों के अवलोकनार्थ साहेबगंज जिला के आधिकारिक वेवसाईट **www.sahibganj.nic.in** पर प्रकाशित की जा रही है। सहज अवलोकनार्थ जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सभी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर उपलब्ध है। औपबंधिक वरीयता सूची सावधानीपूर्वक बनाई गई है। फिर भी तकनीकी कारणों से यदि शिक्षकों के नाम के सामने अंकित डाटा में किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है या सूची में कोई नाम छुट गया हो तो वे अपना आवेदन साक्ष्य के साथ दिनांक 10.10.2020 तक ई–मेल आई.डी. ***promotionsbg2020@gmail.com*** पर जमा कर सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि तक शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा त्रुटि संबंधी दावा प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि इस संबंध में उनको कोई आपत्ति नहीं है, साथ ही अगर आपकी प्रविष्टि में गलती है और आपके द्वारा सुधार नहीं किया जाता है तो सुधार नहीं कराने पर आपको प्रोन्नति से वंचित भी रखा जा सकता है।

E.

जिला शिक्षा अधीक्षक,
साहेबगंज।

ज्ञापांक ......1692....../साहेबगंज, दिनांक 03...10......2020

प्रतिलिपि :– जिला जन संपर्क पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

3.10.2020

जिला शिक्षा अधीक्षक,
साहेबगंज।